207

1

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

(कैम्प रीवा)जिला रीवा, म0प्र0)

470
13.8.13

R. 3738-III/13

अधिवक्ता श्री आर.एम.पी. पटेल
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि. 13.8.13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मुद्रिका प्रसाद पटेल तनय श्री रामनरेश पटेल उम्र 29 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम दुवगवां, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्री रामकुमार पटेल तनय श्री रामबिशाल पटेल, साकिन दुवगवां, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0,

2- शासन म0प्र0 -

—— गैरनिगरानीकर्तागण

28/8/13

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय नायब तहसीलदार तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्र. 15-ए-12/12-13, व आदेश दि. 11.7.2013, अन्तर्गतधारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.।

====================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्यहै ।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 रामकुमार पटेल द्वारा आराजी नं0902/1क/च व 902/1क/ख दो किता भूमियो का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि निगरानीकर्ता मुद्रिका पटेल के स्वत्व व अधिपत्य की आराजी नं0 902/1क की भूमि स्थित है, जिस पर मौके से कब्जा दखल निगरानीकर्ता का कायम है, अधीनस्थ न्यायालय मे निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर आलोच्य पूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्यहै ।

13.8.13

(207)

बराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–3738-II/14 जिला–.रीवा

मुद्रिका प्रसाद पटेल/ रामकुमार पटेल

(1)	(2)	(3)
19.12.18.	1. आवेदक की ओर से श्री एम0पी0 पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील हनुमना, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15/ए–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.07.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालयं में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य R–5464-II/16	